माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

परिपत्र

सं.अ.सं. / क्रमांक / 656 / 2023 दिनांक : 13 / 10 / 2023

प्रति,

संचालक,
समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ
(मीडिया एवं आई.टी)

विषय– कुछ संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं द्वारा गठित **Makhanlal Associated Study Institute Directors Welfare society Indore** "संघ" के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने बावत्।

महोदय / महोदया,

आप सभी रेग्यूलेशन 18 / 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के सम्माननीय संचालक सदस्य है। आई.टी एवं मीडिया पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन और छात्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विश्वविद्यालय हमेशा ही अपनी संबद्ध संस्थाओं से सीधा संवाद करता आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन आपके द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण सुझावों, परामर्शो तथा शिकायतों को हमेशा ही सकारात्मक दृष्टिकोण से लेता रहा है। स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में अपनी बात कहने या किसी तर्कपूर्ण मांग को रखने के लिए संस्थाओं को किसी भी मध्यस्थ व्यक्ति अथवा यूनियन / संघ की आवश्यकता नही है। इस आशय की सूचना पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा पत्र कमांक 515 दिनांक 29.10.2021 के माध्यम से सूचना दी गई थी।

परंतु ऐसा देखने में आया है कि कुछ संबद्ध संस्थाओं के संचालकों ने बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के विश्वविद्यालय के नाम का उपयोग करते हुए स्वंयभू ढंग से **Makhanlal Associated Study Institute Directors Welfare society Indore** नाम का संगठन बना लिया है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने किसी भी संस्था, संघ, संगठन अथवा समूह को ऐसी कोई मान्यता नही दी है, ना ही विश्वविद्यालय इस तरह की व्यवस्था का पक्षधर है और ना ही किसी सस्था के दबाव अथवा परामर्श पर कार्य करती है।

अतः विनम्र आग्रह है कि सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ किसी संघ / संगठन की अनिवार्यता के बिना भी विश्वविद्यालय की उदार एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था पर बने विश्वास के अनुसार अभीष्ट उद्देश्यों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहें। आप अपनी समस्याओं को कभी भी सीधे निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं विभाग को या विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज सकते हैं अथवा प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं।

(वरिष्ट स्तर से अनुमोदित)

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

म.प्र राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, बिसनखेड़ी भोपाल–462044 , फोन : (0755) 2572538,

Infront of M.P. State Shooting Academy,Bishankhedi, Bhopal-462044, Phone-(0755) 2572538, E-mail:asimcrpv@gmail.com

website – www.mcu.ac.in